

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बाड़मेर

पीठारीन अधिकारी श्री वीरमा राम (आर.ए.एस.)

अन्तिम डिक्री

वादीगण

बनाम

प्रतिवादीगण

1 जेठाराम 2 डुंगराराम  
पिसरान पीराराम 3 रेखादेवी  
पत्नी पीराराम जाति कुमावत  
निवासी भगनोणियों की ढाणी  
भाड़खा तहसील बाड़मेर  
ग्रामीण व जिला बाड़मेर

1 पीराराम पुत्र रव. जालुराम जाति कुमावत निवासी  
गंगणोणियों की ढाणी भाड़खा 2 झीमो पुत्री पीराराम  
पत्नी पदमाराम जाति कुमावत निवासी भाड़खा  
तहसील बाड़मेर ग्रामीण 3 लीला पुत्री पीराराम पत्नी  
जालाराम जाति कुमावत निवासी देवका तहसील शिव  
4 हऊआ पुत्री पीराराम पत्नी मूलाराम जाति कुमावत  
निवासी कोलू तहसील वायतु 5 शाखा प्रबन्धक  
आरएमजीवी शाखा बाड़मेर ग्रामीण व जिला बाड़मेर  
6 तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण

दावा बाबत 88 व 188 रा.का.अ.

मुकदमा नम्बर :- 38/2025

निर्णय दिनांक :- .....10/06/2025

वकील वादीगण व वकील प्रतिवादी संख्या 01 से 04 की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 10/06/2025 को श्री वीरमा राम, सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बाड़मेर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और अन्तिम डिक्री निम्नप्रकार दी जाती है कि:-

वादीगण का वाद व प्रतिवादी संख्या 01 का प्रतिवादावा के प्ररिप्रेक्ष्य में स्वीकार किया मौजा भगनाणियों की ढाणी पटवार हल्का भाड़खा तहसील बाड़मेर ग्रामीण के खेत खसरा संख्या 893/799 रकबा 5.3904 हैक्टेयर, खसरा संख्या 951/799 रकबा 1.1331 हैक्टेयर कुल रकबा 6.5235 हैक्टेयर भूमि में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 01 के हक व हिस्से में आने वाली भूमि के बराबर भूमि का सहखातेदार घोषित किया जाता हैं। अतः तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण निर्णय की पालना करें। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे।

यह आज तारीख 10/06/2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

  
(वीरमा राम)

पीठारीन अधिकारी  
सहायक कलक्टर,  
न्यायालय बाड़मेर

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1 वाद पत्र के लिए स्टाम्प	/	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	/
2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3 प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4 ..... रुपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5 साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय		आदेशिका की तमिल	
6 कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7 आदेशिका की तमिल			
जोड़		जोड़	